छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

38 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनॉक 18.01.2013 का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का 38वॉ मण्डल सम्मिलन दिनॉक 18.01.2013 को श्री सुभाष राव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । सम्मिलन में निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. **माननीय श्री रामजी भारती**
   मण्डल सदस्य एवं विधायक
   डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव
2. **माननीय श्री सेवक राम नेताम**
   मण्डल सदस्य एवं विधायक
   केशकाल जिला-कोण्डागांव
3. **माननीय श्री रोशन अग्रवाल**
   मण्डल सदस्य,
   जिला रायगढ़ ।
4. **माननीय श्री गिरिश शुक्ला**
   मण्डल सदस्य,
   जिला मुंगेली ।
5. **श्री ए.के. सिंह**
   उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
   प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव,
   वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
6. **श्री एस.के. बेहार,**
   विशेष कर्तव्य अधिकारी
   प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव,
   आवास एवं पर्यावरण विभाग,
   मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. **श्री एस.एस. बजाज**
   संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर ।
8. **श्री तंगराजू,**
   क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर ।
9. **श्री व्ही.के. भतपहरी**
   प्रमुख अभियंता
   लोक निर्माण विभाग, रायपुर ।
10. **श्री सोनमणि बोरा**
   आयुक्त एवं सदस्य सचिव
   छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।

क्रमशः-2-

उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

पद संख्या क्रमांक - 01

विषयः- 37वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 26.10.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

संकल्प कमांक 1041-01/38/01/2013

निर्णय :-

37वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 26.10.2012 में पारित संकल्प, में की गई कार्यवाही विवरण से मण्डल सदस्यों को पृष्ठांकन कमांक 871/आ.आ./मण्डल/314-37/2012 रायपुर, दिनांक 19.11.2012 द्वारा प्रेषित किये जाने से मण्डल अवगत हुआ, परंतु उनसे कोई सुझाव/अभिमत या अन्य कोई रिमार्क प्राप्त नहीं हुआ । अतः संचालक मण्डल सर्वसम्मति से दिनांक 26.10.2012 को आयोजित 37वॉ मण्डल सम्मिलन के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करता है।

पद संख्या कमांक - 02

विषयः- 37वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 26.10.2012 में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

संकल्प कमांक 1042-02/38/01/2013

निर्णय :-

37वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 26.10.2012 में पारित संकल्प कमांक 1022-01/37/10/2012 से कमांक 1040-19/37/10/2012 के कार्यवाही विवरण पर प्रस्तुत पालन-प्रतिवेदन से मण्डल अवगत हुआ और पुष्टि की गई ।

पद संख्या क्रमांक - 03

विषयः-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त उप-समिति द्वारा (01 से 03 तक) अनुशंसित निविदाओं की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

संकल्प कमांक 1043-03/38/01/2013

निर्णय :-

मण्डल द्वारा गहन विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त उप-समिति द्वारा अनुशंसित 01 से 03 तक के निविदाओं की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

कमशः-3-

पद संख्या कमांक – 04

विषयः– आरंग, जिला रायपुर में अटल विहार योजनांतर्गत 22 एच.आई.जी., 31 सीनि.एम.आई.जी., 45 जुनि. एम.आई.जी., 124 एल.आई.जी., 149 ई.डब्ल्यू.एस. 100 एम.आई.जी. फ्लैट्स, 660 एल.आई.जी.फ्लैट्स, 560 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स कुल 1691 भवनों का निर्माण कार्य एवं 50.00 एकड़ भूमि के बाह्य विकास कार्य प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

संकल्प कमांक 1044–04/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, आरंग जिला–रायपुर में अटल विहार के स्ववित्तीय योजनांतर्गत 22 एच.आई.जी., 31 सीनि.एम.आई.जी., 45 जुनि. एम.आई.जी., 124 एल.आई.जी., 149 ई.डब्ल्यू.एस. 100 एम.आई.जी. फ्लैट्स, 660 एल.आई.जी.फ्लैट्स, 560 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स कुल 1691 भवनों का निर्माण कार्य एवं 50.00 एकड़ भूमि के बाह्य विकास कार्य हेतु रू. 9565.81 लाख (रूपये पन्चानवे करोड़ पैसठ लाख इक्यासी हजार) मात्र राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या कमांक – 05

विषयः– धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में अटल विहार योजनांतर्गत 10 सीनि.एम.आई.जी. (टाईप–II), 31 जुनि. एम.आई.जी.(टाईप–II), 61 एल.आई.जी.(टाईप–II), 56 ई.डब्ल्यू. एस. कुल 158 भवनों का निर्माण कार्य एवं 7.10 एकड़ भूमि के विकास कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

संकल्प कमांक 1045–05/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में अटल विहार के स्ववित्तीय योजनांतर्गत 10 सीनि.एम.आई.जी.(टाईप–II), 31 जुनि. एम.आई.जी.(टाईप–II), 61 एल.आई.जी.(टाईप–II), 56 ई.डब्ल्यू.एस. कुल 158 भवनों का निर्माण कार्य एवं 7.10 एकड़ भूमि के विकास कार्य हेतु रू. 1593.00 लाख (रूपये एक हजार पांच सौ तिरान्वे लाख) मात्र राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या कमांक – 06

विषयः–अटल विहार योजनान्तर्गत रायगढ़ में दीनदयाल पूरम रायगढ़ (टी.वी. टावर के सामने) जिला– रायगढ़ में 60 नग 2बी.एच.के., एम.आई.जी., प्रकोष्ठ भवनो का निर्माण एवं विकास कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

संकल्प कमांक 1046–06/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, अटल विहार के स्ववित्तीय योजनान्तर्गत दीनदयाल पूरम (टी.वी. टावर के सामने) जिला– रायगढ़ में 60 नग 2बी.एच.के., एम.आई.जी., प्रकोष्ठ भवनो का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु रूपए 874.38 लाख (रूपए आठ करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार) मात्र राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

कमशः–4–

पद संख्या कमांक — 07

विषयः—चिखली कालोनी राजनांदगांव में निर्मित 4 एच.आई.जी., 6 एम.आई.जी. एवं 05 एल. आई.जी. भवनों के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय राशि स्वीकृति बाबत्।

संकल्प कमांक 1047—07/38/01/2013

निर्णयः—

मण्डल द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर चिखली कालोनी राजनांदगांव में निर्मित 4 एच.आई.जी. एवं 6 एम.आई.जी. एवं 05 एल.आई.जी., भवनों के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय राशि रू. 9,70,503.00 (15 प्रतिशत अधिक) की स्वीकृति प्रदान करते हुए, इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

पद संख्या क्रमांक — 08

विषयः—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के उच्चाधिकार प्राप्त उप—समिति द्वारा (01 से 07 तक) स्वीकृत निविदाओं की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

संकल्प कमांक 1048—08/38/01/2013

निर्णयः—

मण्डल द्वारा गहन विचार—विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त उप—समिति द्वारा अनुशंसित 01 से 07 तक के निविदाओं की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक — 09

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. लागू करने बाबत्।

संकल्प कमांक 1049—09/38/01/2013

निर्णयः—

मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में लागू करने के प्रस्ताव करने का अनुमोदन करता है, एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक— 10

विषयः—मण्डल के विभिन्न कालोनियों में क्लॅब हाऊस, सामुदायिक केन्द्र, व्यवसायिक परिसर आदि हेतु आरक्षित भू—खण्डों में पी.पी.पी. के माध्यम से योजना के कियान्वयन के संबंध में।

संकल्प कमांक 1050—10/38/01/2013

निर्णयः—

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर एजेंडा टीप में उल्लेखित राज्य के विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन कालोनियों में क्लब हाऊस, सामुदायिक केन्द्र, व्यवसायिक परिसर इत्यादि हेतु भू—अभिन्यास में आरक्षित भू—खण्डों में पी.पी.पी. के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा क्लब हाऊस, सामुदायिक केंद्र, व्यवसायिक परिसर इत्यादि के निर्माण एवं संचालन करने की स्वीकृति दी जाती है, साथ ही उपरोक्त कार्य हेतु Bid Documents के प्रारूप का अनुमोदन करने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी जाती है, एवं पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर निर्माण एवं संचालन हेतु आगामी सभी कार्यवाही के लिए, अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

कमशः—5—

पद संख्या क्रमांक– 11

विषयः–विभिन्न आवासीय योजनांतर्गत मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित/निर्माणाधीन ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के पंजीयन हेतु निर्धारित न्यूनतम आय सीमा में संशोधन करने के संबंध में ।

संकल्प कमांक 1051–11/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, राज्य के विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित/निर्माणाधीन ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के पंजीयन हेतु निर्धारित न्यूनतम आय सीमा/भवनों के संशोधित मूल्य सीमा में निम्नानुसार संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है :–

क.	भवन का प्रकार	संशोधित वार्षिक आय सीमा	भवनों की संशोधित मूल्य सीमा
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	रू. 1,00,000/– तक	रू. 3,25,000/–
2.	एल.आई.जी.	रू. 1,00,001/–से रू. 2,00,000/–	रू. 7,00,000/–
3.	एम.आई.जी.	रू. 2,00,001/– 4,00,000/–	मुक्त
4.	एच.आई.जी.	रू. 4,00,001/– से अधिक	मुक्त

इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक– 12

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की योजनाओं हेतु अर्जित निजि भूमि में लीज पर आबंटित आवासीय भवन/भू खण्डों को फ्री–होल्ड करने के संबंध में ।

संकल्प कमांक 1052–12/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि :–

(1) "शासन द्वारा मण्डल को लीज पर आवंटित भूमि पर कार्यान्वित योजनाओं के आवासीय भवनों/भू–खण्डों फ्री–होल्ड से परिवर्तन करने पर भू–भाटक की राशि शासन से प्राप्त निर्देश के अनुरूप शासन के राजस्व मद में जमा की जावेगी" एवं शासन द्वारा मण्डल को प्राप्त भूमि का समपरिवर्तन शुल्क शासन के राजस्व मद में जमा होना है अथवा मण्डल के राजस्व खाते में जमा होगा इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे ।

(2) "मण्डल द्वारा अर्जित शासकीय/निजी भूमि पर निर्मित भवनों/भू–खण्डों की फ्री–होल्ड करने पर प्राप्त संपरिवर्तन शुल्क एवं भू–भाटक की राशि मण्डल के राजस्व खाते में जमा की जावेगी।"

(3) जिन हितग्राहियों के भवन/भू–खण्ड आबंटन के 30 वर्ष की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, उनसे नवीनीकरण की आगामी तारीख तक प्रचलित लीज की शेष कालावधि के लिए भू–भाटक लेने के संबंध में राज्य शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे ।

इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

क्रमशः–6–

पद संख्या क्रमांक– 13

विषयः–सेक्टर–17 नया रायपुर में जी.ए.डी. क्वाटर्स के कार्य के निर्माण हेतु वास्तुविदीय सेवाएं हेतु वास्तुविदीय चयन के संबंध में की गई कार्यवाही ।

संकल्प क्रमांक 1053–13/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि नया रायपुर के सेक्टर–17 में जी.ए.डी. क्वा. के निर्माण कार्य हेतु राशि रू.400 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत मानते हुए, शासन से बिना लिखित स्वीकृति/एग्रीमेंट कराए एवं बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कन्सल्टेंट की नियुक्ति हेतु आर. एफ.पी. दिनांक 02.02.2011 को आमंत्रित की गई थी, तद्उपरांत तात्कालिन आयुक्त के निर्देश/अनुमोदन पर कार्यपालन अभियंता, राजधानी परियोजना द्वारा कन्सल्टेंट सी.पी. कुकरेजा एण्ड एसोसिएट, नई दिल्ली से अनुमानित योजना लागत रू.400 करोड़ के आधार पर अनुबंध निष्पादन जाकर रू.4.3 करोड़ पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई, परंतु शासन से सेक्टर–17 में भवन निर्माण हेतु रू.400 करोड़ के स्थान पर मात्र राशि रू.86.49 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

मण्डल द्वारा जारी आर.एफ.पी. में भवनों का Structural Electric & Plumbing के डिजाइन Work Scope में स्पष्ट नहीं होने का कारण बताते हुए कन्सल्टेंट सी.पी. कुकरेजा एण्ड एसोसिएट द्वारा इन कार्यो के लिए अलग से राशि भुगतान की मांग की गई थी, परंतु उनके द्वारा योजना के अनुकूल ड्राइंग प्रदाय नहीं करने के कारण एन.आई.टी. रायपुर से Structural Design तैयार कराया गया । इस कार्य हेतु एन.आई.टी. रायपुर को रू.7.54 लाख का भुगतान किया जाना है ।

मण्डल द्वारा सी.पी. कुकरेजा एण्ड एसोसिएट को राशि रू.86.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा उनके द्वारा वांछित ड्राइंग न देने के कारण अनुबंध दिनांक 28.12.2012 को समाप्त कर दी गई । इस प्रकार नया रायपुर के सेक्टर–17 में कोई भी वास्तुविद् नहीं है, परंतु कार्य महत्वपूर्ण होने के कारण समय–समय पर कन्सल्टेंट की आवश्यकता होगी ।

अतः प्रस्तुत एजेण्डा से अवगत होते हुए, मण्डल में एम्पैनल्ड किए गए, वास्तुविद् की सेवाएं लेने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक– 14

विषयः–मंत्रालय में संविलियन करने बाबत् – श्री राजेश नायर, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ।

संकल्प क्रमांक 1054–14/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, श्री राजेश नायर, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 को सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के स्थापना में समान पद पर संविलियन किये जाने हेतु विभागीय सहमति के प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक– 15

विषयः–सहायक अभियंता (विद्युत) से कार्यपालन अभियंता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति के हेतु अर्हता सेवा में 02 वर्ष की छूट के संबंध में ।

संकल्प क्रमांक 1055–15/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, सहायक अभियंता (विद्युत) से कार्यपालन अभियंता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01.01.2012 की स्थिति में अर्हता सेवा में दो वर्ष की छूट प्रदान किये जाने हेतु विभागीय सहमति/प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक– 16

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में डाटा एंट्री ऑपरेटर से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत हेतु भर्ती नियम में संशोधन बाबत् ।

संकल्प क्रमांक 1056–16/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक/वरिष्ठ सहायक के पद से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति दी जाने हेतु मण्डल के भर्ती नियम में संशोधन करने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव शासन के भर्ती नियम के अनुरूप नहीं है अतएव प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया ।

क्रमशः–7–

पद संख्या क्रमांक– 17

विषयः–मण्डल में सीधी भर्ती/पदोन्नति/अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में की गई कार्यवाही बाबत् ।

संकल्प कमांक 1057–17/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 के अनुसार मण्डल में शीघ्रलेखक ग्रेड–3, सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनोटायपिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने, सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत)/उप अभियंता (सिविल/विद्युत) के पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर को नियुक्ति हेतु भेजे गये प्रस्ताव एवं मण्डल द्वारा दी गई पदोन्नति की कार्यवाही से संचालक मण्डल अवगत हुआ ।

अतिरिक्त एजेंडा :-

पद संख्या क्रमांक– 18

विषयः–श्रीमती दर्शनकौर को पुरैना के 2400 वर्गफीट भू–खण्ड के बदले कचना फेस–2 में 1500 वर्गफीट के 2 भू–खण्ड प्रदान करते हुए समझौता नामा माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, रायपुर में प्रस्तुत करने बावत् ।

संकल्प कमांक 1058–18/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, श्रीमती दर्शनकौर को पुरैना के 2400 वर्गफीट भू–खण्ड के बदले कचना फेस–2 में Equal संव्यवहार पर समझौता नामा निष्पादित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए, इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

पद संख्या क्रमांक– 19

विषयः–मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित / निर्माणाधीन अटल विहार योजना के अंतर्गत निर्माण / विकास कार्यो हेतु लिये जाने वाले परफार्मेंस सिक्यूरिटी डिपॉजिट को 5 प्रतिशत में 2 प्रतिशत डी.डी. / इंटरेस्ट बियरिंग सिक्यूरिटीस / बैंक गारंटी के रूप तथा शेष 3 प्रतिशत राशि चल देयकों से कटौति के रूप में स्वीकार करने के संबंध में।

संकल्प कमांक 1059–19/38/01/2013

निर्णयः–

मण्डल द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर, मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना "अटल विहार" के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण/ विकास कार्य हेतु अनुबंध के समय परफारमेंस सिक्यूरिटी डिपॉजिट के मद में जमा की जाने अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत में 2 प्रतिशत डी.डी./इंटरेस्ट बियरिंग सिक्यूरिटी/बैंक गारंटी के रूप तथा शेष 3 प्रतिशत राशि चल देयकों से कटौति के रूप में स्वीकार करने तथा चल देयकों से कटौती की गई राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा इंटरेस्ट बियरिंग सिक्यूरिटी अथवा बैंक गारंटी जमा करने के उपरांत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

"परस्पर धन्यवाद उपरान्त सम्मिलन समाप्त हुआ"

अध्यक्ष	**आयुक्त**
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर	रायपुर

क्रमशः–8–

पृ.क्रमांक /883 / आ.आ. / मण्डल / 314–38 / 2013 रायपुर, दिनांक 30/01/2013

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. माननीय श्री रामजी भारती, सदस्य संचालक मण्डल एवं विधायक ड़ोगरगढ़ जिला राजनांदगांव ।
4. माननीय श्री सेवक राम नेताम सदस्य संचालक मण्डल एवं विधायक केशकाल जिला कोंडागांव ।
5. श्री रोशन अग्रवाल, माननीय मण्डल सदस्य, जिला रायगढ़ ।
6. श्री गिरिश शुक्ला, माननीय मण्डल सदस्य, जिला मुंगेली ।
7. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर।
10. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर।
11. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।

उपरोक्तानुसार माननीय सभी मण्डल सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़